सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में
2012-13

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2012-13

महालेखाकार

(लेखा एवं हकदारी)

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2012-13 के 'लेखे एक दृष्टि में' के हमारे इस वार्षिक प्रकाशन के पद्रहवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष है। नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा राज्य-विधायिका के पटल पर रखे जाने हेतु तैयार किये गये वार्षिक वित्तीय तथा विनियोजन लेखाओं में उपलब्ध सूचना के प्रधान-अंगों को और अधिक सुगम तथा सारगर्भित बनाना ही इस प्रकाशन का उद्देश्य है। वित्तीय लेखे, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा की संक्षिप्त-विवरणिकाएं हैं। विनियोजन लेखे राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान-वार व्यय को दर्शाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रदत्त-निधियों के बीच अन्तरों की व्याख्या करते हैं।

'लेखे एक दृष्टि में' सरकारी कार्यकलापों, जैसा कि वित्तीय लेखाओं तथा विनियोजन लेखाओं में प्रदर्शित हैं, को व्यापक अधि-दृष्टि प्रदान करता है। संक्षिप्त स्पष्टीकरणों, विवरणिकाओं तथा लेखाचित्रों के माध्यम से सूचनाएं प्रस्तुत की गई हैं।

हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी ।

(सुशील कुमार)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

शिमला
दिनांकः 06.12.2013

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा आन्तरिक मूल्य

दृष्टिकोणः-

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षण एवं लेखांकन के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पद्धतियों की पहल तथा विश्वव्यापी नेतृत्व की ओर हम सतत अग्रसर हैं और लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतन्त्र, विश्वसनीय, संतुलित तथा समय-बद्ध रिपोर्टिंग हेतु जाने जाते हैं।

उद्देश्यः-

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता हैं तथा हमारे आज किए जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, हम उच्च गुणात्मक लेखा-परीक्षण तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सदभाव-पूर्ण अभिशासन को प्रोन्नत करते हैं तथा अपने पणधारियों, विधायिका, कार्यपालिका तथा जनता को इस बात से आश्वस्त करते हैं कि लोक-निधियों को दक्षता-पूर्वक एवं अपेक्षित-उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया जा रहा है।

आन्तरिक मूल्यः-

हमारे आन्तरिक मूल्य हमारे समस्त कार्य-कलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आंकलन हेतु सन्दर्भिका प्रदान करते हैं।

- स्वतन्त्रता
- वस्तुनिष्ठता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यावसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

अध्याय I	**अधिदृष्टि**	**पृष्ठ**
1.1	भूमिका	1
1.2	सरकारी लेखाओं की संरचना	1-2
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे	3-4
1.4	निधियों को स्त्रोत तथा अनुप्रयोग	4-5
1.5	वर्ष 2012-13 में वित्तीय आकर्षण	6-7
1.6	हि0 प्र0 एफ आर बी एम अधिनियम 2005	7-9
अध्याय II	**प्राप्तियां**	
2.1	भूमिका	10
2.2	राजस्व प्राप्तियां	10-12
2.3	कर राजस्व	12-13
2.4	कर वसूली में दक्षता	14
2.5	संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पांच वर्षो का घटक	14
2.6	सहायता-अनुदान	15
2.7	लोक ऋण	15
अध्याय III	**व्यय**	
3.1	भूमिका	16
3.2	राजस्व व्यय	16-17
3.3	पूंजीगत व्यय	18
अध्याय IV	**योजना तथा योजनेतर व्यय**	
4.1	व्यय का वितरण (2012-13)	19
4.2	योजनागत व्यय	19-20
4.3	योजनेतर व्यय	20
4.4.	प्रतिबद्ध व्यय	21
अध्याय V	**विनियोजन लेखे**	
5.1	वर्ष 2012-13 के लिए विनियोजन लेखों का सारांश	22
5.2	विगत पांच वर्षो में बचतों /आधिक्य का रूझान	22
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	23-24
अध्याय VI	**परिसम्पतियां तथा दायित्व**	
6.1	परिसम्पतियां	25
6.2	ऋण तथा देनदारियां	25-26
6.3	प्रतिभूतियां	26

अध्याय VII	अन्य मदें	पृष्ठ
7.1	आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष	27
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम	27
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	27
7.4	रोकड़-शेष तथा रोकड़-शेष का निवेश	28
7.5	लेखाओं का समाधान	28
7.6	कोषागारों द्वारा लेखाओं का प्रेषण	28
7.7	सार आकस्मिकता बिल/विस्तृत आकस्मिकता बिल	28
7.8	अपूर्ण पूंजीगत निर्माण की वचनबद्धता	29

अध्याय-I

अधिदृष्टि

1.1 भूमिका

महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश विभिन्न अभिकरणों/एजेसियों द्वारा संग्रहित, वर्गीकृत,एवं लेखा सामग्री को संकलित करने तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे तैयार करने का कार्य करता है। यह संकलन जिला खजानों , लोक निर्माण मण्डलों, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डलों व वन मण्डलों द्वारा प्रेषित किए गए प्रारम्भिंक लेखाओं तथा अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञापनो पर आधारित होता है । कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष प्रतिमाह एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा सरकार के व्यय की गुणवता एवं महत्वपूर्ण वित्तीय सकेतकों की तिमाही सराहना टिप्पणी भी प्रस्तुत की जाती है। प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखा-परीक्षण करने तथा भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात महालेखाकार (लेखा व हकदारी) संकलित इन लेखाओं से वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोजन लेखे तैयार करता है जिन्हें राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखाओं की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखाओं को निम्नलिखित तीन भागों में रखा जाता है:-

सरकारी लेखाओं की संरचना	
भाग- I **समेकित निधि**	कर तथा गैर -कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों उठाऐ गये ऋण एवं दिये गये ऋणों की अदायगी (उन पर ब्याज सहित) समेकित निधि से वहन किये जाते हैं। चुकता ऋणों तथा लिए गए ऋणों की अदायगी (ब्याज सहित) सरकार की समस्त प्राप्तियों तथा संवितरणों को इस निधि से वहन किया जाता है।
भाग- II **आकस्मिकता निधि**	विधानपालिका द्वारा प्राधिकरण के अधीन यह आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय स्वरूप की है जिसे अप्रत्याशित-व्यय के लिए खर्च किया जाता है। बाद में इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति आकस्मिकता निधि से की जाती है।हिमाचल प्रदेश सरकार की इस निधि हेतु कायिक-राशि ₹ 5 करोड़ है।
भाग- III **लोक लेखा**	समेकित निधि को क्रेडिट की जाने वाली राशि के अलावा अन्य प्राप्त सभी लोक धन राशियों को लोक-लेखा के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। ऐसी प्राप्तियों के सम्बन्ध में सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा के अन्तर्गत समाहित है । लघु बचतों तथा भविष्य-निधियों जैसी वापसियां, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम, उचन्त तथा विविध लेन देन (अन्तिम लेखा शीर्षो में बुकिंग के अधीन समायोजन प्रविष्टियां) लेखाकरण सत्ता के बीच सम्प्रेषण तथा रोकड़ शेष।

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख

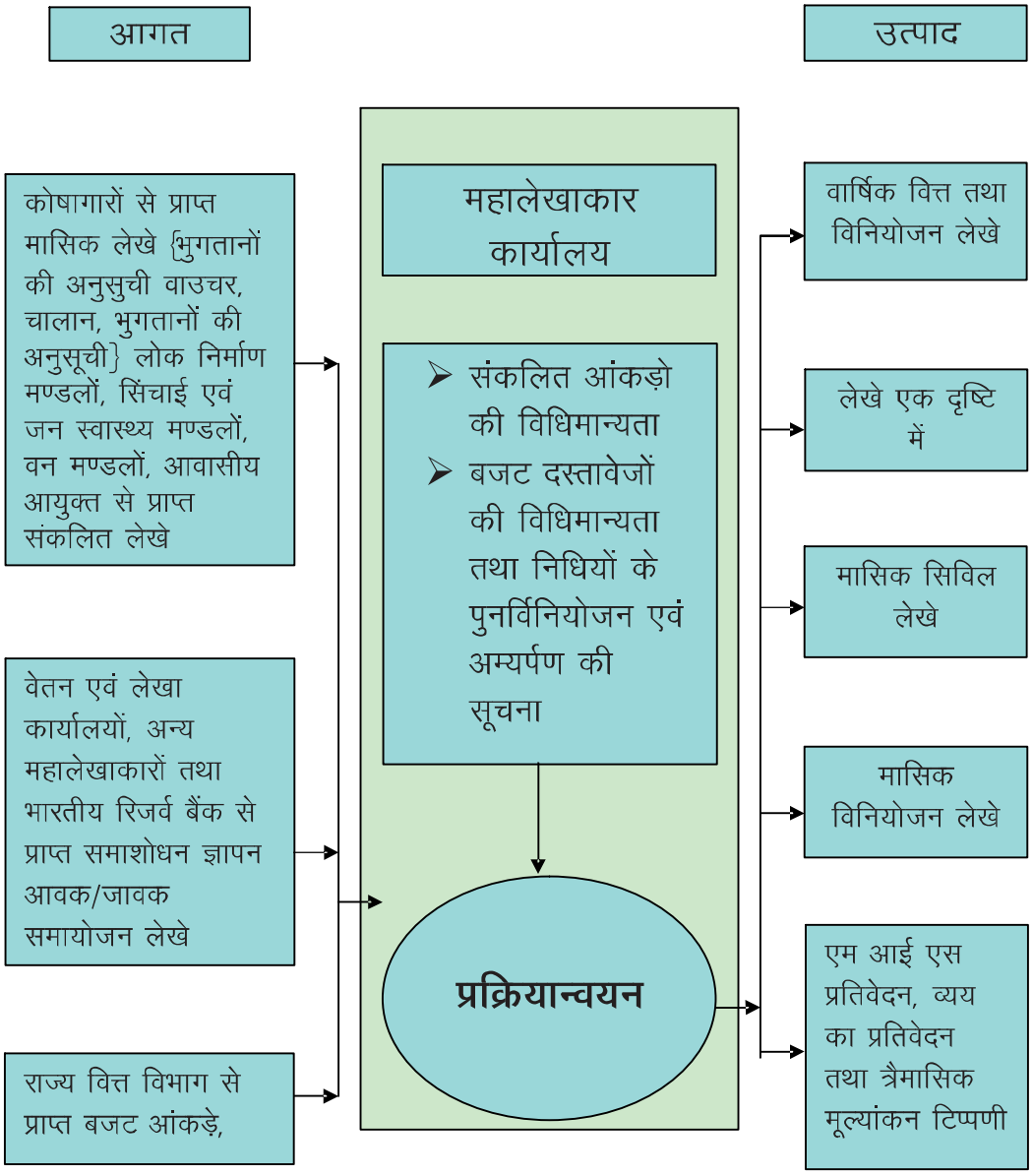

1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे में, लेखाओं में अभिलेखित राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण तथा लोक - लोक शेषों द्वारा उजागर वित्तीय परिणामों के साथ-साथ उस वर्ष में सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण इंगित की जाती हैं। वित्त लेखे को ज्यादा व्यापक तथा सूचनापूर्ण बनाने के लिए इन्हें दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त-लेखे के खण्ड-1 में भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांश - विवरणिका एवं सार्थक लेखाकरण नीतियों, लेखाओं तथा अन्य मदों की गुणवत्ता को समाहित करती 'लेखाओं पर टिप्पणियां' का समावेश किया गया है। खण्ड-II के अन्तर्गत अन्य सारांश विवरणिकाएं (भाग- I), विस्तृत विवरणिकांए (भाग- II) तथा परिशिष्ट (भाग- III) लिए गये हैं ।

वित्त लेखे 2012-13 के अन्तर्गत दर्शाई गई हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियां तथा संवितरण निम्नलिखित हैं -

वर्ष 2012-13 में प्राप्तियाँ तथा संवितरण			*(₹ करोड़ में)*
प्राप्तियाँ	**कुल प्राप्तियाँ**		**18598**
	राजस्व	कर राजस्व	6908
		गैर कर-राजस्व	1377
		सहायता अनुदान	7313
		राजस्व प्राप्तियाँ	***15598***
	पूंजीगत	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	21
		ऋणदान तथा अन्य दायित्व*	2979
		पूंजीगत प्राप्तियाँ	***3000***
संवितरण	**कुल संवितरण**		**18598**
	राजस्व		16174
	पूंजीगत		1955
	ऋण एवं अग्रिम		469

* उधारी तथा अन्य दायित्वः संकल (प्राप्तियां - संवितरण) लोक ऋण + सकल आकास्मिकता निधि + सकल (प्राप्तियां - संवितरण) लोक लेखा + सकल प्रारम्भिक तथा समापन रोकड़ शेष।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा सम्बन्धित वर्ष हेतु अनुमोदित व्यय के अतिरिक्त राज्य में विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए भारत सरकार राज्य क्रियान्वयन एजैंसियों/गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को निधियों का प्रत्यक्ष रूप से अन्तरण करती है। ऐसे अन्तरणों (इस वर्ष ₹945 करोड़ की राशि) को राज्य सरकार के लेखों में दर्शाया नहीं गया है, अपितु वित्त-लेखे के खण्ड- II में परिशिष्ट- VII में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2 विनियोजन लेखे

संविधान के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकरण के बिना नहीं किया जा सकता। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना खर्च किया जा सकता है, बाकी अन्य सभी व्यय "दत्तमत" होना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश के बजट में 13 प्रभारित विनियोजन तथा 32 दत्तमत अनुदान है। विनियोजन लेखाओं का उद्देश्य यह दर्शाना है कि विनियोजन के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रति वर्ष के विनियोजन अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

वर्ष के अन्त में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के सम्मुख हिमाचल प्रदेश सरकार के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत व्यय में कटौती के कारण ₹392 करोड़ (प्राक्कलनों का 2 *प्रतिशत*) की सकल बचत तथा ₹447 करोड़ (प्रावकलनों का 30 *प्रतिशत*) के अव-प्राक्कलनों को दर्शाया गया है। न्याय प्रशासन, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण, कृषि, योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास और अनुसूचित जाति उप योजना से सम्बन्धित कुछ अनुदानों के अर्न्तगत प्रचुर-आधिक्य प्रदर्शित किए गए हैं।

1.4 निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा राज्य सरकारों को उनके रोकड़-शेषों में अस्थाई कमी को पूरा करने हेतु अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवर ड्राफट की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान हिमाचल राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवर ड्राफट सुविधा पर आश्रित नहीं रही थी।

1.4.2 निधि प्रवाह विवरणिका

राज्य का राजस्व- घाटा ₹576 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा ₹2979 करोड़ दर्शाया गया है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का क्रमशः 1 *प्रतिशत* तथा 4 *प्रतिशत* था। राजकोषीय घाटा समग्र व्यय का 16 *प्रतिशत* रहा। राजकोषीय घाटा की पूर्ति निवल लोक ऋण (₹1254 करोड़) द्वारा की गई लोक लेखा में बढौतरी (₹1543 करोड़) तथा आदि तथा अन्त शेष में निवल बढौतरी (₹182 करोड) राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹15598 करोड़) का लगभग 82 *प्रतिशत* वेतनों (₹7066 करोड़),ब्याज-अदायगियों (₹2370 करोड़) तथा पैंशन (₹2747 करोड़) और उपदान (₹567 करोड़) जैसे प्रतिबद्ध-व्यय पर खर्च हुआ था।

निधियों का स्त्रोत तथा अनुप्रयोग			
	विवरण	राशि	*(₹ करोड़ में)*
स्त्रोत	01 अप्रैल 2012 को आरम्भिक रोकड़ शेष		(-)380
	राजस्व प्राप्तियां		15598
	पूंजीगत प्राप्तियां		---
	ऋणों व अग्रिमों की वसूली		21
	लोक ऋण		3371
	लघु बचत, भविष्य निधि व अन्य		2832
	आरक्षित तथा निक्षेप निधियां		188
	प्राप्त जमा		1466
	चुकता किए गए सिविल अग्रिम		105
	उचन्त लेखे		22471
	सम्प्रेषण		4053
	योग		**49725**
प्रयुक्त	राजस्व व्यय		16174
	पूंजीगत व्यय		1955
	दिए गए ऋण		469
	लोक ऋणो की अदायगी		2117
	लघु बचत, भविष्य निधि तथा अन्य		1720
	आरक्षित तथा निक्षेप निधियां		183
	प्राप्त जमा		1622
	दिए गए सिविल अग्रिम		105
	उचन्त लेखे		21715
	सम्प्रेषण		4227
	31 मार्च 2013 को अन्तिम रोकड़ शेष		(-)562
	योग		**49725**

1.4.3 ₹ कहाँ से आया

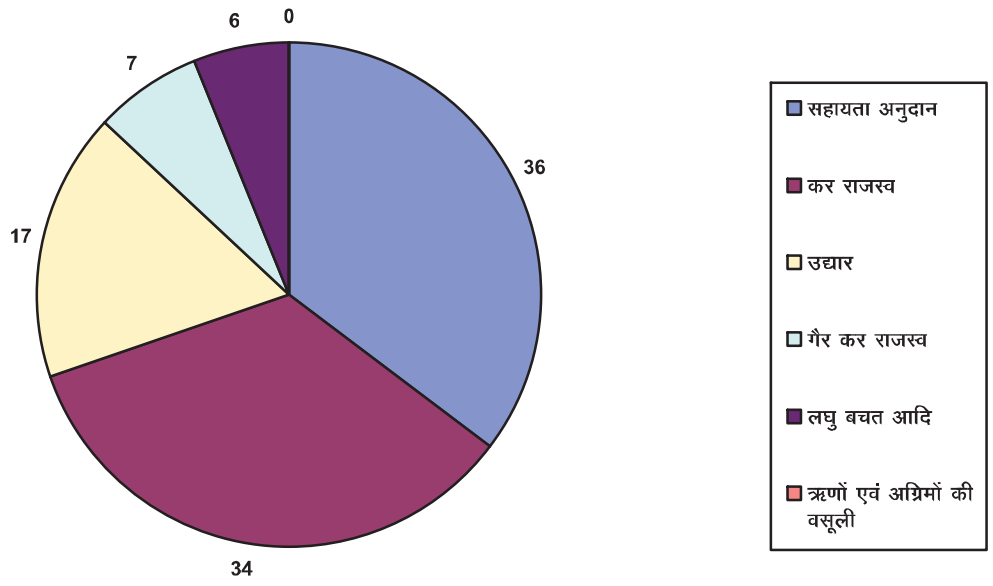

(ऋणों व अग्रिमों की वसूली केवल ₹ 21 करोड़ थी जो कि नगणय थी अतः मूल्य शून्य दर्शाया गया है)

1.4.4 ₹ कहां गया

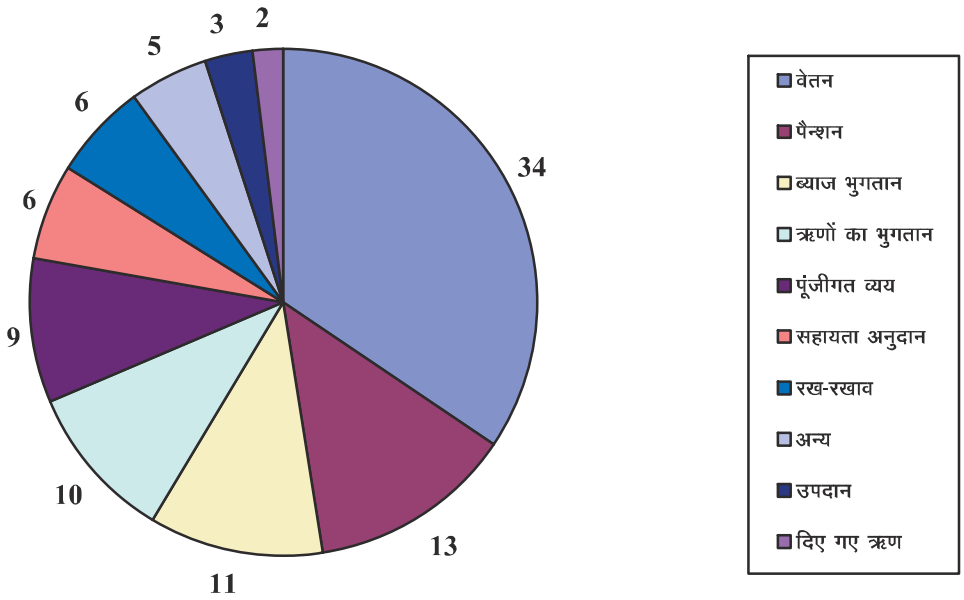

1.5 वर्ष 2012-13 में वित्तीय आर्कषण

(₹ करोड़ में)

क्र0 स0		बजट प्राक्कलन 2012-13	वास्तविक आंकड़े 2012-13	बजट प्राक्कलनों के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	जी0डी0पी0 के साथ वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता#
1.	कर राजस्व (क)	7430	6908	93	10
2.	गैर कर-राजस्व	2003	1377*	69	2
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	6910	7313	106	10
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	**16343**	**15598***	**95**	**22**
5.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	25	21	84	--
6.	अन्य प्राप्तियां (ख)	--	--	--	--
7.	उधार तथा अन्य दायित्व	1939	2979	154	4
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	**1964**	**3000**	**153**	**4**
9.	कुल प्राप्तियां (4+8)	**18307**	**18598**	**102**	**26**
10	योजनेतर व्यय	14424	14499	101	20
11.	राजस्व-लेखा पर योजनेतर व्यय	14329	14095	98	20
12.	मद संख्या 11 में से ब्याज अदायगियों पर योजनेतर व्यय	2250	2370	105	3
13.	पूंजीगत लेखा पर योजनेतर व्यय (ग)	95	404	425	1
14.	योजना व्यय	3883	4099	106	6
15.	राजस्व लेखा पर योजना व्यय	1640	2079	127	3
16.	पूंजीगत-लेखा पर योजना व्यय (घ)	2243	2020	90	3
17	कुल व्यय (10+14) (ङ)	**18307**	**18598**	**102**	**26**
18.	राजस्व व्यय (11+15)	**15969**	**16174**	**101**	**22**
19.	पूंजीगत व्यय (13+16)	**2338**	**2424**	**104**	**4**
20.	राजस्व घाटा (-) राजस्व आधिक्य (+) (18-4)	**(+)374**	**(-)576***	**(-)154**	**(-) 1**
21.	राजकोषीय घाटा (4+5+6-17)	**(-)1939**	**(-)2979***	**(-)154**	**(-) 4**

क) संघीय करों ₹2282 करोड़ के राज्य - भागों सहित (राज्य सरकार की कर प्राप्तियाँ ₹4626 करोड़ थी जो कि जी एस डी पी का 6 प्रतिशत है।

(ख) उधारी तथा अन्य दायित्वः- लोक-ऋण की शुद्ध राशि (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिकता व्यय निधि की शुद्ध राशि + लोक लेखा की शुद्ध राशि (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारम्भिक तथा अन्तिम शेष की शुद्ध राशि।

(ग) ऋणों तथा अग्रिमों से सम्बन्धित ₹308 करोड़ सहित।

(घ) ऋणों तथा अग्रिमों से सम्बन्धित ₹161 करोड़ सहित।

(ङ) पूंजीगत लेखाओं पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹1955 करोड़) तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम (₹469 करोड़) सम्मिलित हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से ग्रहित (₹72076 करोड़) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद सम्बन्धी आंकडे।

* बुक-समायोजन द्वारा ₹ 7 करोड़ की राशि शामिल है।

₹576 करोड़ का राजस्व घाटा(वर्ष 2011-12 में ₹645 करोड़ आधिक्य) तथा ₹2979 करोड़ का राजकोषीय-घाटा(वर्ष 2011-12 में ₹1633 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 1 *प्रतिशत* तथा 4 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा समग्र व्यय का 16 *प्रतिशत* रहा।

घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं ?	
घाटा	राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्तपोषित कैसे हो तथा निधियों का अनुपयोग वित्तीय-प्रबन्धन में दूरदर्शिता व सूझ-बूझ के महत्वपूर्ण संकेतक है।
राजस्व घाटा /आधिक्य	राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है तथा आदर्श स्वरूप राजस्व प्राप्तियों से ही इसे पूर्णतया वहन किया जाना चाहिये
राजकोषीय घाटा /आधिक्य	सकल प्राप्तियों (उधारियों रहित) तथा सकल व्यय के बीच के अन्तर से सम्बन्धित है। यह अन्तर इसलिए यह इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त-पोषित करके पूंजीगत परियोजनाओं में निवेषित किया जाना चाहिए।

1.6 हिमाचल प्रदेश एफ आर बी एम अधिनियम 2005

सरकार के राजकोषीय निष्पादन को आंके जाने हेतु घाटा-संकेतक, राजस्व-सम्बर्द्धन तथा व्यय-प्रबन्धन प्रमुख मापदण्ड हैं। बारहवें -वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्य स्वयं राजकोषीय जिम्मेदारी तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफ आर बी एम) को अधिनियमित करें। जिसमें

(i) मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटे को कम करने और उसके पश्चात् अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए;

(ii) राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक लाने हेतू उत्तरोत्तर कम करने के लिए; और

(iii) दीर्घकालिक ऋण पर इसकी परादेय प्रत्याभूतियों को उत्तरोत्तर कम करने के लिए, जब तक कि यह परादेय जोखिम भारित प्रत्याभूतियों को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के अस्सी प्रतिशत तक समाप्त न कर दें, जिसके लिए वित्त लेखों के अनुसार वास्तविक उपलब्ध है,

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम राज्य विधानसभा द्वारा अप्रैल 2005 में पास किया गया था और वर्ष 2011 में संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम में प्रावधान किया कि

(iv) वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटा समाप्त करना तथा तत्पश्चात राजस्व अधिशेष बनाए रखना;

(v) राजकोषीय घाटे को, वित्तीय वर्ष 2010-11 तक संकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 *प्रतिशत* तक या इससे कम करना, वित्तीय वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 *प्रतिशत* तक या इससे कम करना तथा तत्पश्चात राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के स्तर तक या इससे कम बनाए रखना;

(vi) परादेय ऋण को वित्तीय वर्षो 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 तक सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 49.7 *प्रतिशत*, 47.0 *प्रतिशत*, 44.4 *प्रतिशत*, 42.1 *प्रतिशत* और 40.1 *प्रतिशत* तक कम करना;

(vii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति, जिसके लिए वितीय लेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हैं, के चालीस प्रतिशत से कम के दीर्घकालिक ऋण पर परादेय जोखिम भारित प्रत्याभूतियां बनाए रखना।

वर्ष 2011-12 में ₹1633 करोड़ के राजकोषीय घाटे में ₹1346 करोड़ की बढ़ौतरी के कारण चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा ₹2979 करोड़ रहा यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत के बराबर था जो कि संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम में निरर्धारित लक्ष्य 3.50 प्रतिशत से अधिक है। परादेय ऋण को कम करने का लक्ष्य, जो 31 मार्च 2013 को ₹28615 करोड़ था, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत है और परादेय प्रतिभूतियों की राशि के लक्ष्य को बनाए रखना जो कि 31 मार्च 2013 को ₹3353 करोड़, पिछले वर्ष 2011-12 के सकल राजस्व प्राप्तियाँ (₹14543 करोड़) के 23 प्रतिशत के बराबर था, को प्राप्त किया गया।

1.6.1 राजस्व घाटा / आधिक्य के रूझान

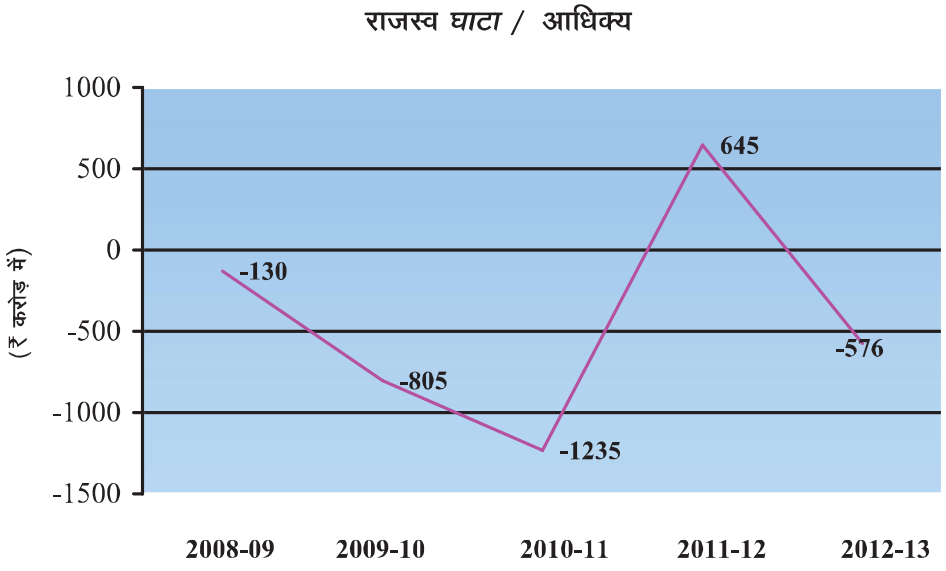

1.6.2 राजकोषीय घाटे का रूझान

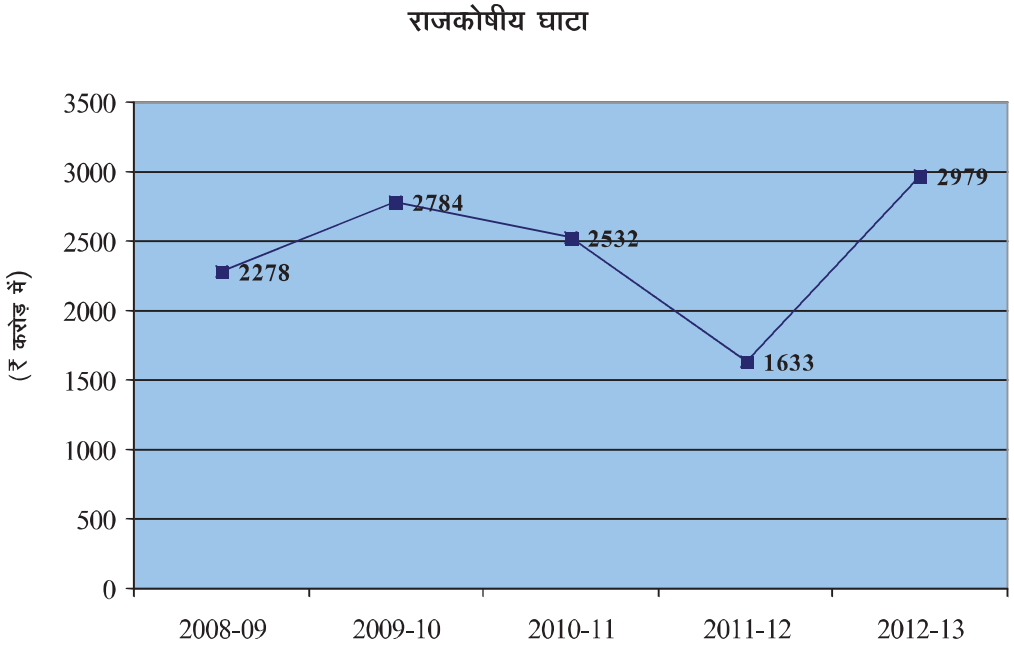

1.6.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उद्धार निधि का अनुपात

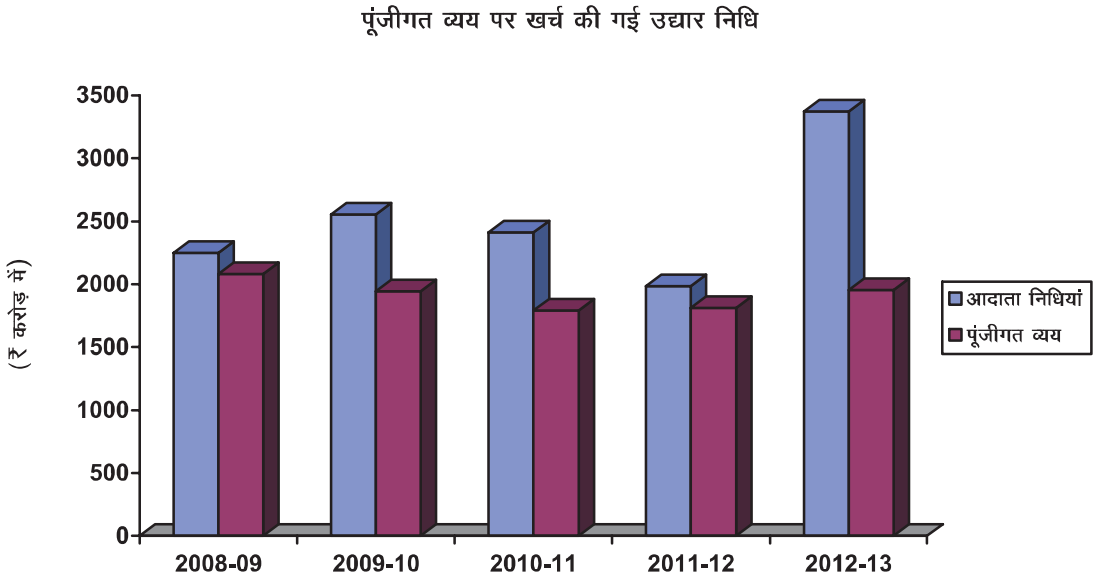

सरकार राजकोषीय घाटे का संचालन करती है तथा आर्थिक व सामाजिक ढ़ाचे के निर्माण के लिए पूंजीगत/परिसम्पतियों के लिए गृहित-निधियां लेती है। अतएव गृहित-निधियों द्वारा निर्मित परिसम्पतियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर सकती हैं। इस प्रकार पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु गृहित-निधियों के पूर्णतया उपयोग तथा मूलधन एवं ब्याज की वापिसी हेतु राजस्व-प्राप्तियों के इस्तेमाल की अपेक्षा की गई है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा केवल पूंजीगत व्यय पर ₹1955 करोड़ का खर्च किया गया है जो चालू वर्ष का गृहित-निधि (₹3371 करोड़) का केवल 58 *प्रतिशत* था। अतः यह प्रतीत होगा कि लोक ऋण में उद्धार का शेष ₹2117 करोड़ पिछले वर्षो के लोक ऋण पर मूल राशि तथा ब्याज की अदायगी पर उपयोग किया गया है।

अध्याय- II

प्राप्तियां

2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2012-13 में कुल प्राप्तियां ₹18598 करोड़ थी ।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्यतः तीन घटक हैं :- कर राजस्व, गैर कर राजस्व तथा संघ सरकार द्वारा प्रदान सहायता अनुदान।

कर राजस्व	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित कर तथा संविधान की धारा 280 (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सहित।
गैर कर-राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि।
सहायता अनुदान	सहायता अनुदान , संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई केन्द्रगत-सहायता को अभिव्यक्त करते हैं । इसमें विदेश सरकार से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के माध्यम से सारणीबद्ध " वैदेशिक सहायता अनुदान " भी शामिल है । बदले में , राज्य- सरकार पंचायती राज संस्थान , स्वायत्त निकायों आदि जैसे संस्थानों को सहायता अनुदान भी देती है ।

राजस्व-प्राप्तियां

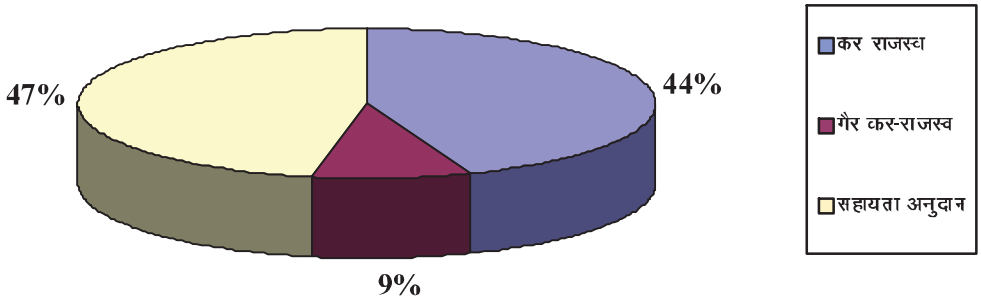

2.2.1 *राजस्वप्राप्तियों के घटक (2012-13)*

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकडे
क. कर-राजस्व	**6908**
आय व व्यय पर कर*	1310
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर कर	198
वस्तुओं व सेवाओं पर कर	5400
ख.गैर कर-राजस्व	**1377**
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ	170
सामान्य सेवाएं	136
सामाजिक सेवाएं	181
आर्थिक सेवाएं	890
ग. सहायता अनुदान एवं अंशदान	**7313**
सकल राजस्व प्राप्तियां	**15598**

2.2.2 *राजस्व प्राप्तियों का रूझान*

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कर राजस्व	3080 (8)	3436 (8)	5358 (10)	6107 (10)	6908 (10)
गैर कर-राजस्व	1756 (5)	1784 (4)	1695 ((3)	1915 (3)	1377 (2)
सहायता अनुदान	4472 (12)	5126 (12)	5658 (11)	6521 (10)	7313 (10)
कुल राजस्व प्राप्तियां	9308 (25)	10346 (24)	12711 (24)	14543 (23)	15598 (22)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	36940	42278	52426	63084	72076

टिप्पणी : लघु कोष्ठक में दिए गए आंकडे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

हांलाकि वर्ष 2012-13 में पिछले वर्ष के मुकाबले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 14 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में बढोतरी केवल 7 *प्रतिशत* ही थी । कर राजस्व 13 *प्रतिशत* तक बढा जबकि गैर कर-राजस्वों में 28 *प्रतिशत* तक की गिरावट आई। बिक्री व्यापार आदि, सेवाकर, निगमकर, विधुत पर कर शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर से अन्यथा आय पर कर, वाहनों पर कर के अन्तर्गत कर संग्रहण में अत्याधिक वृद्वि देखी गयी। गैर कर-राजस्वों में मुख्यतः विद्युत, वन और वन्यजीव तथा विभिन्न सामान्य सेवाओं में कम संग्रहण के कारण गिरावट आई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियों के घटक

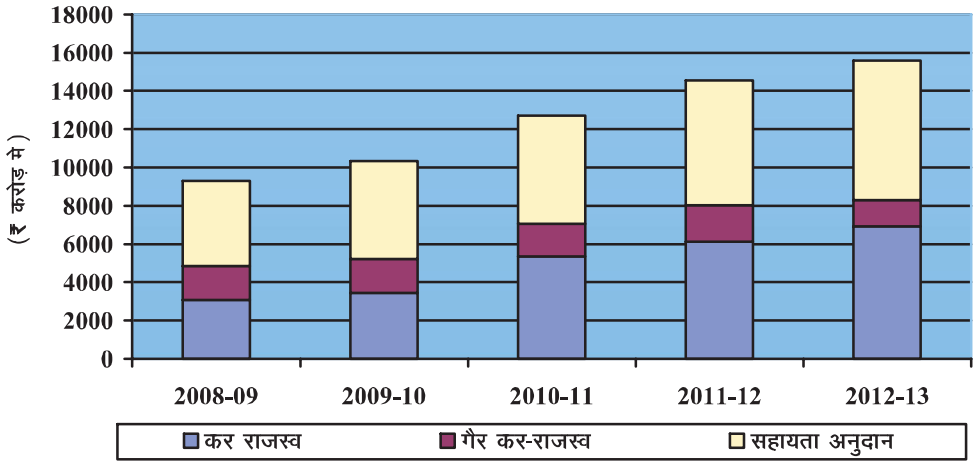

2.3 कर राजस्व

क्षेत्र वार राजस्व प्राप्तियां					
	2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
आय व व्यय पर कर	447	552	1025	1186	1310
सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर व्यय	119	129	139	176	198
वस्तुओं व सेवाओं पर कर	2514	2755	4194	4745	5400
सकल कर राजस्व	**3080**	**3436**	**5358**	**6107**	**6908**

वर्ष 2012-13 में सकल कर राजस्व में बढोतरी मुख्यत: बिक्री व्यापार आदि पर कर (₹251 करोड), सेवा कर (₹95 करोड), निगम कर को छोड़ आय पर कर (₹91 करोड), विद्युत सेवाओं पर कर (₹77 करोड) निगम कर (₹33 करोड) तथा सीमा शुल्क (₹33 करोड) के अधिक संग्रहण के कारण हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में मुख्य करों का रूझान

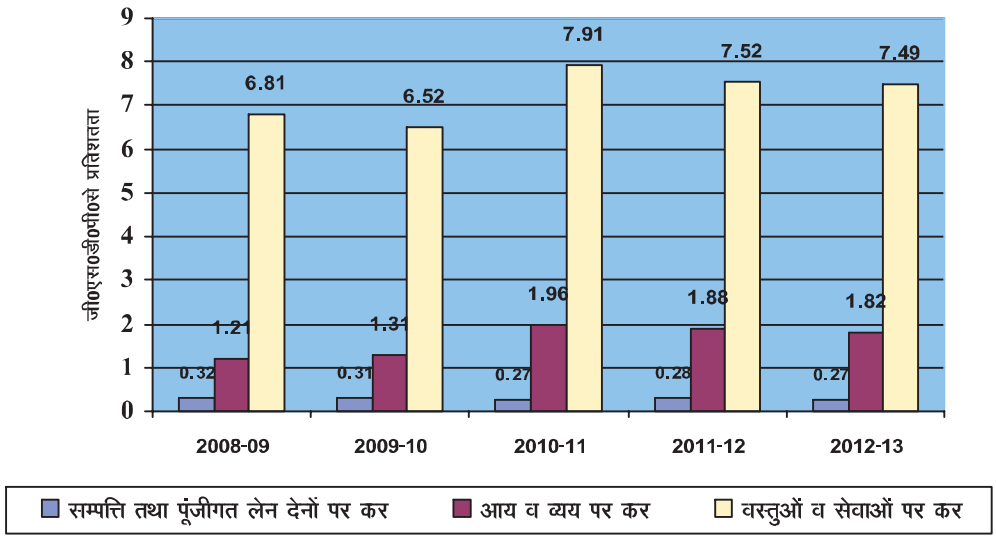

2.3.1 *राज्य का निजी कर तथा संघीय करों में राज्य का अंश*

राज्य सरकार को कर राजस्व मुख्यतः दो स्त्रोतों से आता हैं :- राज्य का निजी कर संग्रहन तथा संघीय करों में राज्य का अंश।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों में राज्य का अंश	राज्य द्वारा निजी कर	
			कर राजस्व	जी0एस0डी0पी0से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008-09	3080	837	2243	6.07
2009-10	3436	862	2574	6.09
2010-11	5358	1715	3643	6.95
2011-12	6107	1999	4108	6.51
2012-13	6908	2282	4626	6.42

निम्न तालिका में पिछले पांच वर्षो के दौरान कर राजस्व के दो मुख्य स्त्रोतों की आय को दर्शाया गया हैः-

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राज्य का निजी कर संग्रहन	2243	2574	3643	4108	4626
संघीय करों में राज्य का अंश	837	862	1715	1999	2282
सकल कर राजस्व	**3080**	**3436**	**5358**	**6107**	**6908**
सकल कर राजस्व में राज्य के निजी कर का प्रतिशत	*73*	*75*	*68*	*67*	*67*

राज्य के अपने कर संग्रहण के अनुपात में कुल कर राजस्व वर्ष 2009-10 से गिरावट दर्शा रहा था परन्तु वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान इसमें तटस्थता दर्शायी गयी है।

2.3.2 *पिछले पॉच वर्ष के दौरान राज्य के निजीकर संग्रहन का रूझान*

(₹ करोड़ में)

कर	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1246	1487	2101	2477	2728
2. राज्य आबकारी शुल्क	432	500	562	707	810
3. वाहनों पर कर	136	134	163	176	196
4. स्टाप और पंजीकरण शुल्क	98	113	133	155	173
5. विद्युत सेवाओं पर कर	79	39	302	185	263
6. भूमि राजस्व	20	15	5	18	24
7. वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	62	89	93	94	101
8. अन्य कर	170	197	284	296	331
सकल राज्य का निजी कर	**2243**	**2574**	**3643**	**4108**	**4626**

2.4 कर वसूली में दक्षता

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व वसूली	1246	1487	2101	2477	2728
संग्रहण पर व्यय	1	3	3	5	3
कर वसूली में दक्षता	0.08%	0.20%	0.14%	0.20%	0.12%
2. राज्य आबकारी शुल्क					
राजस्व वसूली	432	500	562	707	810
संग्रहण पर व्यय	2	2	3	3	3
कर वसूली में दक्षता	0.46%	0.40%	0.53%	0.42%	0.37%
3. वाहन, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर					
राजस्व वसूली	198	223	256	270	297
संग्रहण पर व्यय	17	20	24	25	30
कर वसूली में दक्षता	8.58%	8.97%	9.38%	9.26%	10.10%
4. स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क					
राजस्व वसूली	98	113	133	155	173
संग्रहण पर व्यय	1	1	1	1	1
कर वसूली में दक्षता	1.02%	0.88%	0.75%	0.65%	0.58%

अन्य करों के मुकाबले वाहनों, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर के संग्रहण पर व्यय अत्यधिक था।

2.5 संघीय करों में राज्य के अंश में पिछले पांच वर्षों का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
निगम कर	275	355	671	787	820
निगम कर के अतिरिक्त आय	172	197	354	400	491
सम्पत्ति कर	--	1	1	3	1
सीमा शुल्क	160	121	300	347	379
संघीय आबकारी शुल्क	140	97	218	224	258
सेवा कर	90	91	171	238	333
संघीय करों में राज्य का अंश	837	862	1715	1999	2282
कुल कर राजस्व	3080	3436	5358	6107	6908
संघीय करों से कुल कर राजस्व की प्रतिशतता	27	25	32	33	33

2.6 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि को अभिव्यक्त करते हैं तथा इसमें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजना स्कीमों, केन्द्रगत योजना स्कीमों तथा केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किए गए राज्य गैर-योजना अनुदान समाहित हैं वर्ष 2012-13 के दौरान सहायता-अनुदान के अधीन कुल प्राप्तियां ₹ 7313 करोड थी, जैसा निम्न दर्शाया गया है -

सहायता अनुदान

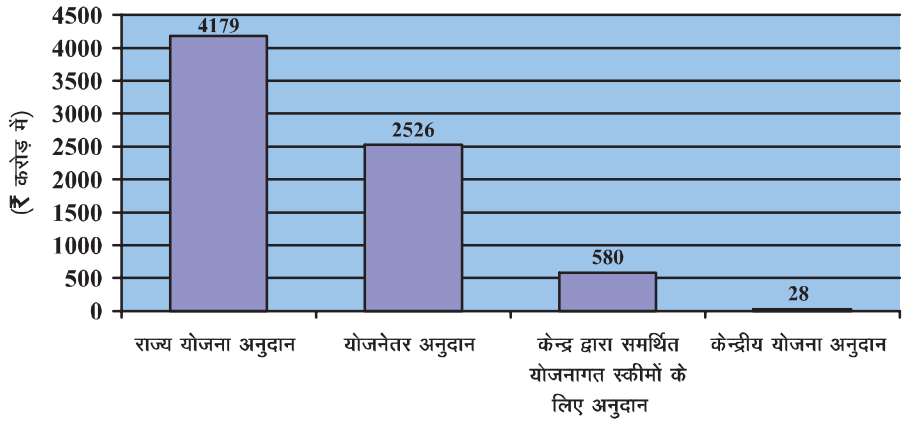

सकल सहायता अनुदानों में गैर-योजना अनुदानों के भाग में वर्ष 2011-12 में 41 प्रतिशत से वर्ष 2012-13 में 36 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि योजनागत स्कीमों हेतु अनुदानों के उसी भाग में वर्ष 2011-12 में 51 प्रतिशत से वर्ष 2012-13 में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। योजनागत स्कीमों में संघीय-भाग के ₹4245 करोड के बजट प्राक्लन के मुकाबले में राज्य सरकार ने वास्तव में सहायता -अनुदानों के रूप में ₹4179 करोड (बजट प्राकलन का 98 प्रतिशत) प्राप्त किये ।

2.7 लोक ऋण

पिछले पांच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आन्तरिक ऋण	14456	16129	17694	18563	19747
केन्द्रीय ऋण	971	984	960	947	1018
कुल जोड़	15427	17113	18654	19510	20765

वर्ष 2012-13 में ₹ 2360 करोड़ के सात ऋण 8.42 *प्रतिशत* तथा 8.92 *प्रतिशत* की ब्याज की दर से खुला-बाजार से लिए गए थे जो वर्ष 2016-17 तथा 2022-23 के बीच में प्रतिदेय थे । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 408 करोड़ तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन0एस0एस0एफ) से ₹ 471 करोड़ का ऋण लिया था। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में कुल आन्तरिक ऋण ₹ 3239 करोड़ लिया गया । सरकार ने ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹ 132 करोड़ का ऋण भी प्राप्त किया था ।

अध्याय III

व्यय

3.1 प्रस्तावना

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है । राजस्व व्यय का उपयोग संगठन के दैनिक कार्य-संचालन के लिए किया जाता है । पूंजीगत व्यय को स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा ऐसी परिसम्पत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि या स्थायी दायित्वों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है । व्यय को और आगे योजनागत तथा योजनेतर के अधीन वर्गीकृत किया गया ।

सरकारी लेखों में व्यय को मुख्यतः तीन खण्डों में बांटा जा सकता हैः- सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ तथा आर्थिक सेवाएँ। इन खण्डों के अन्तर्गत आने वाले मुख्य क्षेत्रों में व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः-

सामान्य सेवाएं	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण, ब्याज, पैन्शन इत्यादि
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, जल वितरण इत्यादि
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग , परिवहन इत्यादि

3.2 राजस्व व्यय

बजट प्राक्कलनों के सम्मुख राजस्व व्यय के आधिक्य, जो बिगत पाँच वर्षों के दौरान हुआ, को नीचे दर्शाया गया है :-

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बजट प्राक्कलन	9328	10222	12093	14042	15969
वास्तविक आंकड़े	9438	11151	13946	13898	16174
अन्तर	110	929	1853	(-)144	205
बजट प्राक्कलनों से वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशतता	1	9	15	(-)1	1

राजस्व व्यय का लगभग 80 प्रतिशत वेतन व मजदूरी (₹7255 करोड़), ब्याज भुगतान (₹2370 करोड़) तथा पैंशन (₹2747 करोड़) तथा उपदान (₹567 करोड़) पर किया जाना राज्य सरकार की ' प्रतिबद्धता ' थी।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल राजस्व व्यय	9438	11151	13946	13898	16174
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय #	6867	7970	9880	10402	12939
कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	73	71	71	79	80
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	2571	3181	4066	3496	3235

प्रतिबद्ध राजस्व ब्याज में वेतन व मजदूरी, ब्याज भुगतान पैंशन तथा अनुदान सम्मिलित हैं।

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय विगत तीन वर्षों के दौरान लगभग उसी स्तर पर रहा, जबकि वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 तक राजस्व प्राप्तियों में ₹9308 करोड़ से लेकर ₹15598, करोड़ 68 *प्रतिशत* तक की वृद्धि हुई तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 88 *प्रतिशत* तक का आवर्धन हुआ।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्र वार विवरण (2012-13)

(₹ करोड़ में)

घटक	राशि	प्रतिशतता
क. राज्य के अंग	**181**	**1**
ख. राजकोषीय सेवाएं	**191**	**1**
(i) सम्पत्ति व पूंजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण	151	1
(ii) वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	39	--
(iii) अन्य राजकोषीय सेवाएं	1	--
ग. ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवा	**2370**	**15**
घ. प्रशासनिक सेवाएं	**1118**	**7**
ड. पैन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं	**2758**	**17**
च. सामाजिक सेवाएं	**6131**	**38**
छ. आर्थिक सेवाएं	**3418**	**21**
ज. सहायता अनुदान	7	--
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	**16174**	**100**

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक 2008-09 से 2012-13

राजस्व व्यय के मुख्य घटको का रूझान

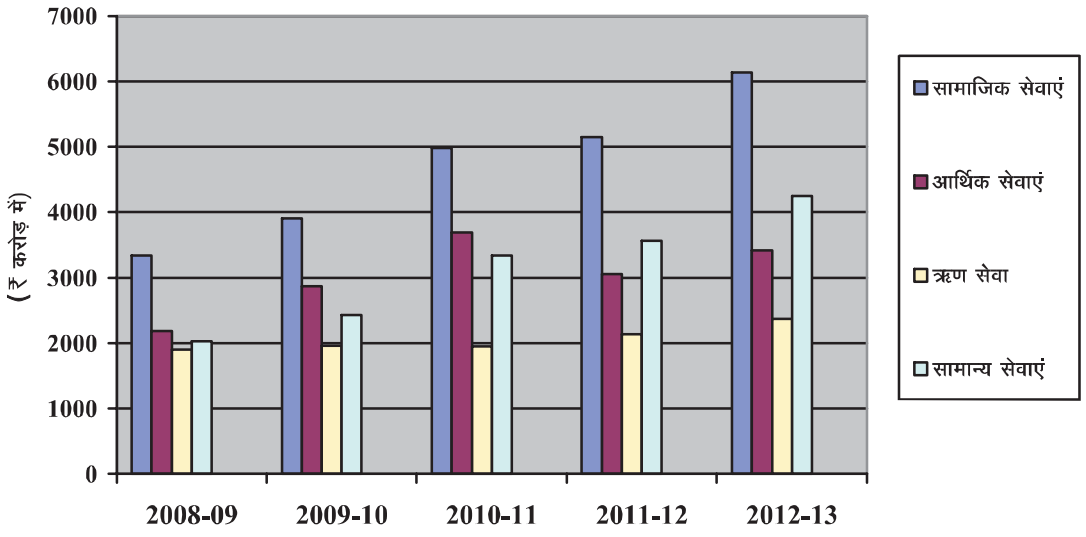

सभी क्षेत्रों में हुए व्यय ने बढ़ता हुआ रूझान दिखाया है।

3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण है यदि वृद्धि प्रक्रिया लगातार बने रहती है। वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित ₹1955 करोड के पूंजीगत संवितरण (जी एस डी पी के 2.71 *प्रतिशत*) बजट प्राक्कलनों से ₹ 15 करोड कम थे । (योजनागत व्यय के अन्तर्गत ₹23 करोड का कम संवितरण तथा योजनेतर व्यय के अधीन ₹8 करोड का अधिक व्यय) वर्ष 2009-10 से 2010-11 के दौरान पूंजीगत व्यय ने केवल सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ धीमी वृद्धि की जबकि वर्ष 2011-12 और 2012-13 में पूंजीगत व्यय ने वृद्धि की है। नीचे सारणी से यह प्रतीत होता है :-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	बजट प्राक्कलन	1931	1863	1760	1498	1970
2	वास्तविक व्यय (#)	2079	1943	1789	1810	1955
3	बजट प्राक्कलनों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	108	104	102	121	99
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक बढौतरी	47%	(-)7 %	(-) 8%	1%	8%
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*)	36940	42278	52426	63084	72076
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक बढौतरी	16%	14%	24%	20%	14%

पूंजीगत परिव्यय में ऋणों तथा अग्रिमों का व्यय सम्मिलित नहीं है।

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े (₹ 72076 करोड़) साख्यिकी एवं आर्थिक विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं।

3.3.1 पूंजीगत व्यय का क्षेत्र-वार विवरण

2012-13 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न सिचाई परियोजनाओं पर ₹ 190 करोड का व्यय किया गया। (मध्यम सिंचाई पर ₹49 करोड लघु सिंचाई पर ₹141 करोड)। उपरोक्त के अलावा सरकार ने सड़कों तथा भवनों के निर्माण पर ₹689 करोड का खर्च किया तथा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹368 करोड का निवेश किया।

3.3.2 पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का क्षेत्रवार विवरण

विगत पांच वर्षो में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	खण्ड		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	सामान्य सेवाएं	पूंजीगत	64	64	73	73	74
		राजस्व	3918	4377	5279	5690	6618
2	सामाजिक सेवाएं	पूंजीगत	833	610	611	372	436
		राजस्व	3332	3902	4979	5147	6131
3	आर्थिक सेवाएं	पूंजीगत	1182	1270	1104	1365	1445
		राजस्व	2184	2868	3682	3049	3418

अध्याय IV

योजना तथा योजनेतर व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2012-13)

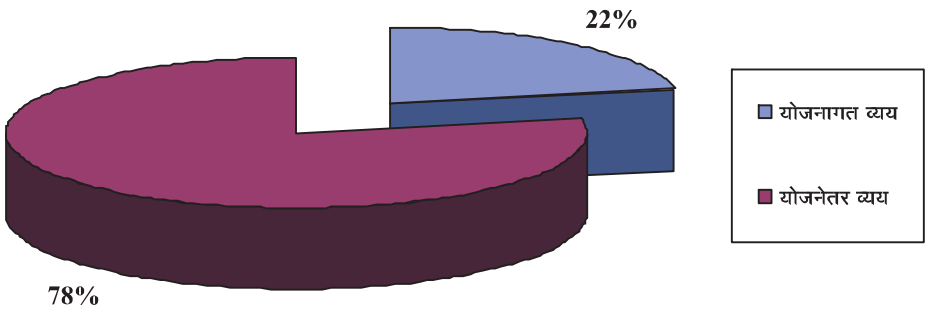

4.2 योजनागत व्यय

वर्ष 2012-13 के दौरान योजनागत व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) ₹4099 करोड़ था जोकि कुल व्यय ₹18598 करोड़ का 22 प्रतिशत है, जिसमें राज्य योजना के अन्तर्गत ₹3491 करोड़ केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय योजना ₹447 करोड़ एवं ऋण व अग्रिम ₹161 करोड़ है ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल व्यय में योजनागत व्यय की प्रतिशतता

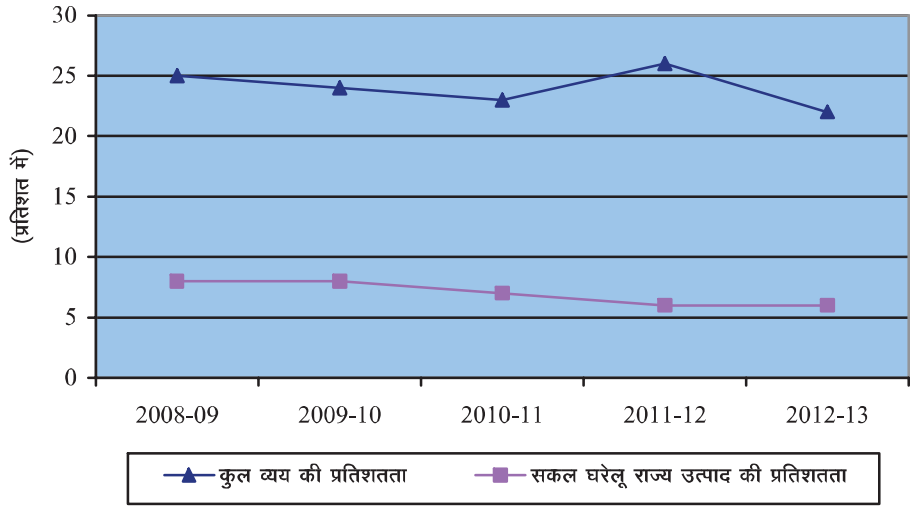

राजस्व-क्षेत्र के अधीन योजनागत व्यय में 2011-12 में ₹1701 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹1653 करोड़, तीन प्रतिशत तक की गिरावट आई। पूंजीगत -क्षेत्रों में यह गिरावट वर्ष 2011-12 में ₹2242 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹2020 करोड़ तक 10 *प्रतिशत* रही, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना (राजस्व ₹426 करोड़ तथा पूंजीगत ₹21 करोड़) में योजनागत व्यय पर वर्ष 2011-12 में ₹431 करोड़ से ₹447 करोड़ की वृद्धि हुई।

4.2.1 पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल पूंजीगत व्यय	2169	2013	2016	2303	2424
पूंजीगत व्यय (योजनागत)	2006	1962	1996	2243	2020
कुल पूंजीगत व्यय से पूंजीगत व्यय (योजनागत) की प्रतिशतता	92	97	99	97	83

4.2.2. पूंजीगत ऋणों तथा अग्रिमों पर योजनागत व्यय

ऋणों व अग्रिम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संवितरण निम्न प्रकार से है :

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	राशि	उद्देशय
6801 विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	443	जल विद्युत उत्पाद के लिए हिमाचल प्रदेश बिजली निगम के ऋण
6885 उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य ऋण	12	राज्य सरकार द्वारा हि0 प्र0 वि0 अ0 के पास बॉड प्रत्याभूति स्वरूप

4.3 योजनेतर व्यय

वर्ष 2012-13 का योजनेतर व्यय ₹14499 करोड़ (राजस्व के अन्तर्गत ₹14095 करोड़ तथा पूंजीगत के अंतर्गत ₹404 करोड़) जो कि सकल संवितरण ₹18598 करोड़ का 78 *प्रतिशत* था। योजनेतर व्यय में पूंजीगत के अन्तर्गत ₹308 करोड़ ऋण तथा अग्रिम के रूप में किया गया वितरण शामिल है । वेतन तथा मजदूरी पर खर्च ₹7255 करोड़ कुल योजनेतर व्यय का 50 *प्रतिशत* है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा सकल व्यय में आयोजनेतर व्यय की प्रतिशतता

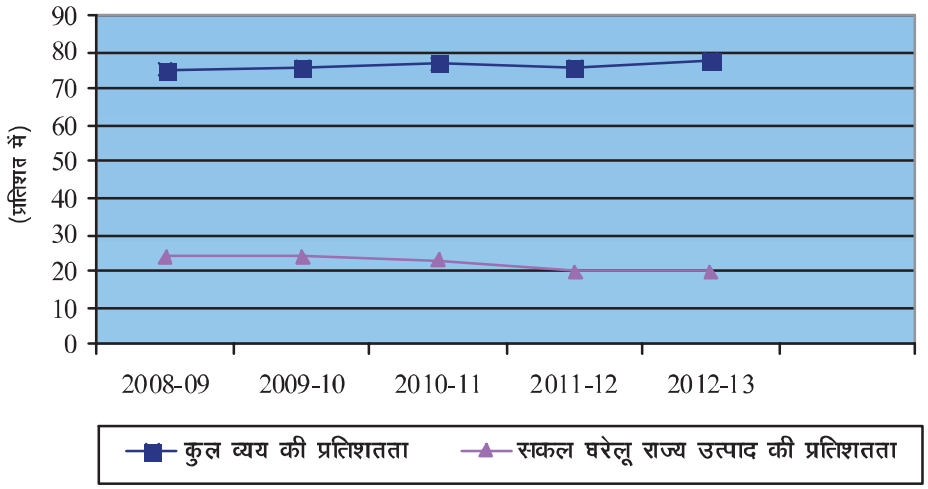

4.4 प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2012-13 के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले वेतन तथा पैंशन में 17 *प्रतिशत* तथा 24 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जो मुख्यत वेतन तथा पैंशन के पुनर्निर्धारण के कारण हुई।

प्रतिबद्ध व्यय का रूझान

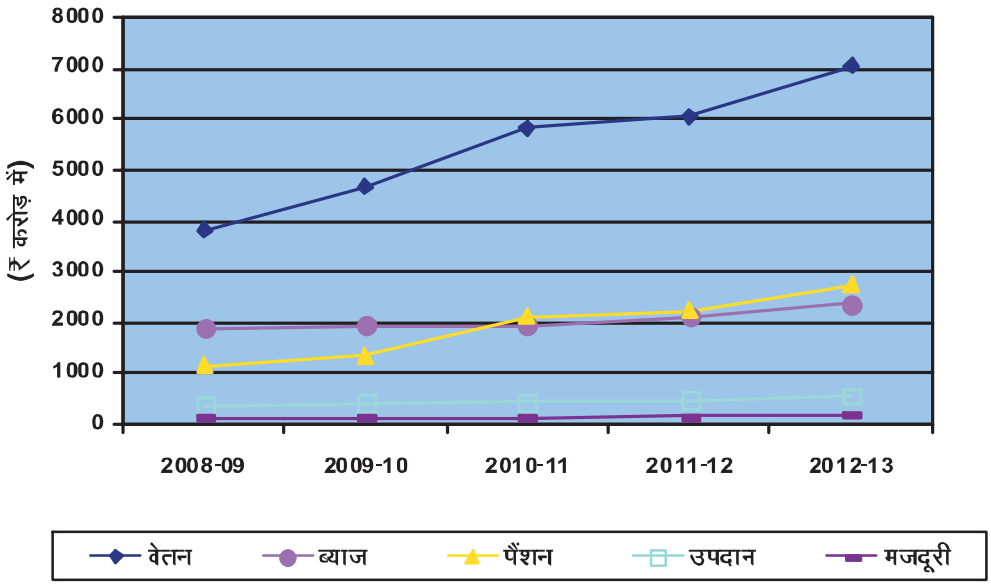

विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रतिबद्ध व्यय के साथ तुलनात्मक रूझान निम्न प्रकार से है

(₹ करोड़ में)

घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रतिबद्ध व्यय	6867	8092	10318	11027	12939
राजस्व व्यय	9438	11151	13946	13898	16174
राजस्व प्राप्तियां	9308	10346	12711	14543	15598
कुल राजस्व प्राप्तियों से वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	75	78	81	76	83
कुल राजस्व व्यय से वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	74	73	74	79	80

वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक प्रतिबद्ध व्यय में बढोतरी (88 *प्रतिशत*) रही, जबकि राजस्व व्यय में बढोतरी (71 *प्रतिशत*) से अधिक थी जिस कारण विकास कार्यों पर व्यय हेतु सरकार द्वारा कम लचीला रूख अपनाना पड़ा ।

अध्याय V

विनियोजन लेखे

5.1 *वर्ष 2012-13 के लिए विनियोजन लेखों का सारांश*

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	पूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1.	राजस्व	15137	677	765	15050	13764	(-)1286
	दत्तमत	*2287*	*50*	*44*	*2294*	*2411*	*(+)117*
	प्रभारित						
2.	पूंजीगत	2009	122	140	1992	1951	(-)41
	दत्तमत	-	*4*	-	*4*	*4*	-
	प्रभारित						
3.	लोक ऋण *प्रभारित*	1937	-	-	1937	2117	(+)180
4.	ऋण एवं अग्रिम	-	-	-	-	-	-
	दत्तमत	367	16	9	374	469	(+)94
5.	योग	21738	870	957	21651	20715	(-)936

5.2 *विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य का रुझान*

(₹ करोड़ में)

	बचत (-)आधिक्य (+)				
वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	कुल
2008-09	(-) 6,54. 50	(-) 36.84	(+) 0.20	(-) 0.22	(-) 6,91.36
2009-10	(-) 3,91.17	(-)2,15.45	(+) 48.63	(+) 62.35	(-) 4,95.64
2010-11	(+) 3,21.19	(-) 1,57.51	(-) 9.70	(+) 1,34.89	(+) 2,88.87
2011-12	(-) 9,13.94	(-) 56.69	(+) 30.46	(+) 1,30. 96	(-)8,09.21
2012-13	(-) 11,69.37	(-) 41.17	(+) 1,79.66	(+) 94.32	(-) 9,36.56

5.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत, कुछ निश्चित स्कीमों/कार्यक्रमों के अक्रियान्वयन या धीमें क्रियान्वयन को दर्शाती है।

निरन्तर तथा महत्वपूर्ण बचत वाले एक करोड़ से अधिक कुछ अनुदानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	स्वरूप	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
3	न्याय प्रशासन	--	--	19	18	15
4	सामान्य प्रशासन	--	--	--	16	4
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	--	--	--	66	27
6	आवकारी और कराधान	--	--	--	--	8
7	पुलिस और सम्बन्ध संगठन	--	--	--	35	3
8	शिक्षा	225	35	64	--	120
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	--	--	--	22	64
10	लोक निर्माण कार्य-सड़के, पुल तथा भवन	--	--	--	--	45
11	कृषि	--	--	--	--	40
12	उद्यान	--	--	--	--	5
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना	15	24	35	--	19
16	वन और वन्य जीवन	--	--	--	--	10
20	राजस्व विभाग	--	2	4	75	73
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	--	--	26	--	--
23	विद्युत विकास	53	63	--	--	40
25	सड़क और जल परिवहन	37	--	19	--	--
28	शहरी विकास नगर एव ग्राम योजना तथा आवास	--	14	27	--	8
29	वित्त	345	162	238	--	38
31	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	--	--	--	39	33
32	अनुसूचित जाति उपयोजना	8	10	11	16	84

लघु सिंचाई के अधीन निरन्तर व्यापक बचत, स्कीमों को क्रियान्वयन के दौरान कम-प्राथमिकता दिया जाना है, भले ही उन्हें विद्यायिका द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसे बजट- प्राकलन में बढौतरी करके या अपने राजकोषीय घाटे को सीमा से नीचे सरकार की अपेक्षा के अनुरूप रखकर निर्धारित किया जा सकता है ।

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 870 करोड़ अनुपूरक अनुदान की कुल राशि (कुल व्यय का 3.84 *प्रतिशत*) कुछ मामलों में अनावश्यक सिद्ध हुई। वर्ष के अन्त में मूल बजट के विरूद्ध हुई बचत के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः-

मांग स0	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
05	2053- जिला प्रशासन 093- जिला स्थापनाएं 01- सामान्य स्थापना योजनेतर	राजस्व	86	9	85
09	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ 001- निदेशन एवं प्रशासन 02- जिला स्थापना योजनेतर	राजस्व	53	91	49
32	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रय 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02- पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि योजनेतर	राजस्व	8	1	7

अनुपूरक अनुदान के आबंटन के बाबजूद भी वर्ष के अन्त में व्यय के आधिक्य के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः-

मांग स0	नामावली	प्रवर्ग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
18	6885- उद्योग और खनिज के लिए अन्य ऋण 01- औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण 190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों के लिए ऋण योजनेतर	पूंजीगत	--	5	12
31	2059- लोक निर्माण कार्य 01- कार्यालय भवन 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09- उचन्त के अन्तर्गत व्यय (विभिन्न लोक निर्माण कार्य अग्रिम) योजनेतर	राजस्व	5	1	10

अध्याय VI

परिसम्पतियां तथा दायित्व

6.1 परिसम्पतियां

लेखाओं का वर्तमान स्वरूप जमीन, भवन आदि जैसी सरकारी परिसम्पत्तियों के मूल्याकंन को, अर्जन/खरीद के विभेद के सिवाय, इतनी सुगमता से नहीं दर्शाता । इसी प्रकार जैसाकि लेखे चालू-वर्ष के प्रतिवद्धता के प्रभाव को प्रदर्शित करते है, वे भावी पीढी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को चित्रित नहीं करते ।

गैस-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी0एस0यू0) में शेयर-पूंजी के रूप में कुल निवेश, वर्ष 2012-13 के अन्त में ₹1329 करोड़ था। वर्ष के दौरान निवेश पर लाभांश ₹100 करोड़ (4 *प्रतिशत*) प्राप्त हुआ । वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश में ₹319 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि लाभांश में ₹14 करोड़ की वृद्धि हुई।

भारतीय रिजर्व बैंक का नकदी शेष 01 अप्रैल 2012 को (-)₹380 करोड़ था जो मार्च 2013 के अन्त तक बढ़कर (-)₹562 करोड़ हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 में सरकार ने 129 तात्कालिक अवसरो पर ₹21287 करोड़ खजाना बिलों में निवेश किया तथा 233 अवसरों पर ₹21969 करोड़ के मूल्य का पुनः बटटा चुकाया। नीचे दी गई सारणी में वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश की स्थिति को दर्शाया गया है।

भारत सरकार के खजाना बिलों में नकदी शेष निवेश			
1 अप्रैल 2012 को शेष	2012-13 के दौरान खरीद	2012-13 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2013 को अन्तिम शेष
949	21287	21969	266

वर्ष के अन्त तक निवेश में ₹ 683 करोड़ की गिरावट आई।

6.2 ऋण तथा देनदारियाँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकार को समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधारी का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत सरकार समय-समय पर यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार बाजार से किस सीमा तक उधारी कर सकती है। वर्ष 2012-13 के लिए सीमा ₹ 2019 करोड़ थी । वर्ष 2012-13 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने खुले बाजार से ₹ 2360 करोड़ की उधारी की ।

लोक ऋणों तथा राज्य सरकार के समस्त दायित्व का विवरण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता	लोक ऋण (*)	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता	कुल दायित्व	सकल घरेलू राज्य उत्पाद की प्रतिशतता
2008-09	15427	*42*	6391	*17*	21818	*59*
2009-10	17113	*40*	6599	*13*	23712	*56*
2010-11	18654	*36*	7759	*15*	26413	*50*
2011-12	19511	*31*	8717	*14*	28228	*45*
2012-13	20765	*29*	9677	*13*	30442	*42*

(*) उचन्त तथा सम्प्रेषण शेष रहित ।

टिप्पणीः आंकड़े वर्ष के अन्त के उतरोत्तर शेष है।

लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पिछले वर्ष में ₹ 2214 करोड़ (8 *प्रतिशत*) की शुद्ध बढ़ोतरी दर्शायी गयी।

सरकारी देनदारियों का रूझान

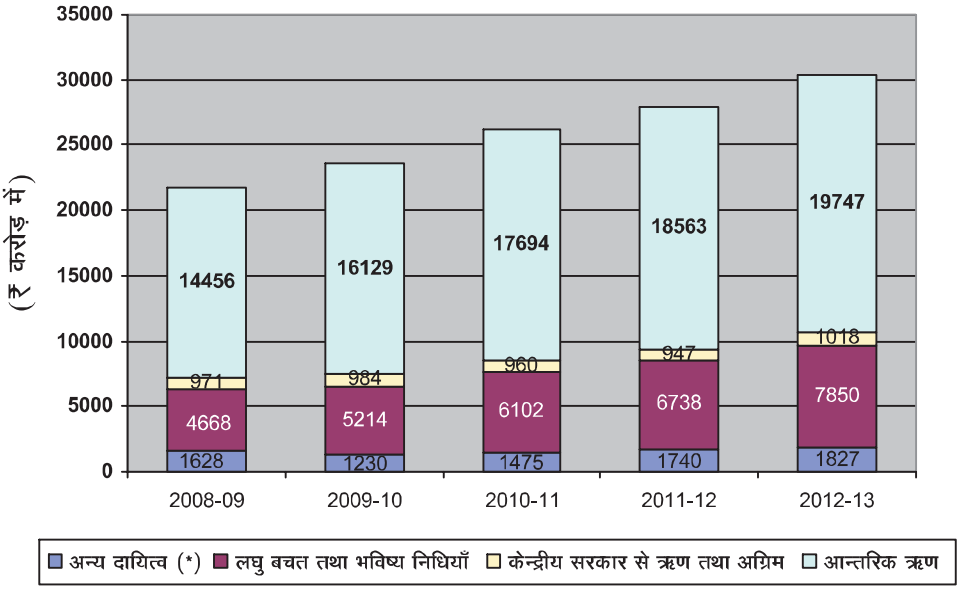

(*)स्थानीय निधियों, अन्य चिन्हित निधियों आदि के जमा जैसी ब्याज रहित बाध्यताएं ।

6.3 प्रतिभूतियाँ

प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थान से सरकारी कम्पनियों तथा निगम द्वारा लिए गए ऋणों की भी प्रतिभूति देती हैं। इन प्रतिभूतियों को राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। वैद्यानिक निगम, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूल-राशि तथा उस पर ब्याज की अदायगी) की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त तक	प्रत्याभूति अधिकतम राशि (मूलधन केवल)	वर्ष के अन्त तक बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2008-09	6076	2254	37
2009-10	4361	1924	25
2010-11	6232	3248	662
2011-12	6208	3316*	--
2012-13	9455	3353*	--

* मूलधन एवं ब्याज सम्मिलित है।

अध्याय VII

अन्य मदें

7.1 आन्तरिक ऋणों के अधीन प्रतिकूल शेष

राज्य सरकारों की उधारियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत अधिशासित होती हैं। प्रत्यक्ष रूप से ऋण उठाए जाने के अतिरिक्त राज्य सरकारें विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बाजार तथा वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा लिए गए ऋणों की प्रतिभूति भी देती हैं जिसे राज्य बजट से बाहर प्रक्षेपित किया जाता है। इन ऋणों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों के रूप में लिया जाता है तथा सरकार की किताबों में ये प्रकट नहीं होते। हालांकि ऋणों की वापसियों को सरकारी-लेखे में लिया जाता है जिसके परिणामतः सरकारी लेखाओं में असंगत प्रतिकूल शेष तथा दायित्वों की न्यून-तालिका प्रदर्शित होती रही हैं । 31 मार्च 2013 को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में कोई प्रतिकूल शेष नहीं थे ।

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम

वर्ष 2012-13 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹1399 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए गए। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त-निकायों को ₹936 करोड़ की राशि के ऋण तथा अग्रिम दिए गए । 31 मार्च 2013 के अन्त में ₹80 करोड़ मूलधन की वसूली की जा चूकी थी। राज्य सरकार द्वारा ब्याज की राशि की वसूली से सम्बन्धित जानकारी प्रदान नही की गई थी। वर्ष 2012-13 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली की प्राप्ति केवल ₹21 करोड़ ही हो पाई, जिसमें से ₹11 करोड़ की राशि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों की वापसी से सम्बन्धित है । बकाया ऋणों की वसूली हेतु उठाए जाने वाले प्रभावी कदम सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सहायता करेंगे ।

7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

पिछले पांच वर्षो के दौरान स्थानीय निकायों आदि को दिए गए सहायता-अनुदानों में वर्ष 2008-09 में ₹ 582 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 1203 करोड़ की वृद्धि हुई। जिला परिषदों, पंचायती राज संस्थानों तथा नगर-निगम व नगरपालिकाओं को दिए गए अनुदान (₹ 435 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए सकल अनुदानों का 36 प्रतिशत थे ।

बिगत पांच वर्षो के सहायता-अनुदानों का विवरण इस प्रकार है : -

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	जिला परिषद एव पंचायती राज संस्था	188	218	256	264	262
2	नगर निगम एवं नगर पालिका	82	116	92	123	173
3	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान	204	231	311	315	401
4	विकास एजेंसी	44	49	52	47	43
5	अस्पताल एवं अन्य धर्माथ संस्थानों	5	41	48	70	86
6	अन्य संस्थान	59	63	90	162	238
	जोड़	582	718	849	981	1203

7.4 रोकड शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2012 की स्थिती	31 मार्च 2013 की स्थिती	निवल बढौतरी(+)/ कमी (-)
रोकड़ शेष	569	(-) 295	(-) 864
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के खजाना बिल)	949	266	(-) 683
चिन्हित निधियों से निवेश	--	--	--
(क) निक्षेप निधि	--	--	--
(ख) प्रत्याभूति विमोचन निधि	--	--	--
वर्ष के दौरान ब्याज वसूली	56	41	(-) 15

निवेश हेतु चिन्हित निधि शेषों तथा अपने रोकड़ शेषों का उपयोग किए जाने के बावजूद राज्य सरकार के पास 31 मार्च 2013 के अन्त में सकारात्मक समापन शेष पड़ा था । इन निवेशों पर ब्याज प्राप्तियों में ₹56 करोड़ से ₹41 करोड़ की 27 प्रतिशत की गिरावट आई।

7.5 लेखाओं का समाधान

मुख्य नियन्त्रक अधिकारी/नियन्त्रक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय के आंकड़ों का समाधान महालेखाकार द्वारा लेखाबद्व किए गए आंकड़ों के साथ करें। सभी मुख्य नियन्त्रक अधिकारियों/नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा समाधान पूर्ण कर लिया गया है।

7.6 कोषागारों द्वारा लेखाओं का प्रेषण

वर्ष के दौरान जिला कोषागारों द्वारा प्रेषित किए गए 180- खजाना लेखे प्राप्त हुए तथा लेखांकित किए गए। वर्ष के दौरान 127 लोक निर्माण/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डलों तथा 90- वन मण्डलों ने 2604 लेखे भेजे। वर्ष के दौरान लेखाओं का न प्रेषित करने का कोई भी मामला नहीं था। मासिक सिविल लेखे राज्य सरकार को देय तिथि को प्रेषित कर दिये गये।

7.7 सार आकस्मिकता बिल (ए.सी. बिल) तथा विस्तृत आकस्मिकता बिल (डी.सी. बिल)

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अपेक्षित राशि को अग्रिम/पहले ही आहरण करने की अनुमति दी गई है तथा बाद में प्रेषण द्वारा समायोजन किया जाना आवश्यक है। यद्यपि राज्य सरकार ने ऐसे समायोजन वाउचरों के लिए कोई भी प्रणाली नहीं बनाई है जिसके चलते महालेखाकार महोदय को यह प्रमाणित करने में कठिनाई होती है कि सभी अग्रिमों का समायोजन कर दिया गया है और किसी भी प्रकार का कोई भी घपला नहीं किया गया है। पिछले कई वर्षो से महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राज्य सरकार से आकस्मिकता बिल की प्रणाली तथा साथ ही साथ विस्तृत आकस्मिकता बिल की प्रणाली अपनाने का निवेदन कर चुके हैं, जैसा कि केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्यों में होता है परन्तु यह मुददा हल नहीं हो पाया है।

7.8 अपूर्ण पूंजीगत निमार्ण कार्यो बारे वचनबद्धता

विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा ₹109 करोड़ की मूल अनुमानित लागत के सम्मुख वर्ष 2012-13 तक के वित्त लेखे (वर्ष 2012-13) के वितिय लेखे के खण्ड- II में दिए गए परिशिष्ट X के अनुसार ₹115 करोड़ का कुल व्यय किया गया था।

विभिन्न परियोजनाओं पर मूल अनुमानित लागत (₹109 करोड़) में 39 प्रतिशत का आवर्धन हुआ। मल निकास स्कीमों तथा जलापूर्ति स्कीमों के अन्तर्गत संशोधित अनुमानों में असामान्य वृद्धि पाई गई। अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रतिबद्धताओं पर संक्षिप्त दृष्टिकोण इस प्रकार हैः-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्य का श्रेणी	निर्माण कार्य की लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान अद्यतन व्यय	बकाया राशियां	संशोधन के उपरान्त निर्माण कार्य की लागत
1	मल निकास स्कीम (8)	42	2	61	--	78
2	जलापूर्ति स्कीम(1)	4	--	12	--	10
3	भवन कार्य (3)	63	4	42	6	63
	जोड़	109	6	115	6	151